विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-37 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
37 (क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेगे कि जनपद- एटा के ग्राम पंचायत-नरौरा में विकास कार्यों के नाम पर घोर अनियमिततायें की गयी हैं?	जी नहीं।
(ख) क्या उक्त ग्राम पंचायत, में अभिलेखों एवं कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जाँच किसी सक्षम अधिकारी से अविलम्ब करा कर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गठित जांच नियमावली, 1997 में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी हैं। जनपद एटा की ग्राम पंचायत नरौरा में एक शिकायत श्री नितिन प्रताप सिंह पुत्र श्री गवेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट नरौरा, विकास खण्ड अवागढ़, जनपद एटा द्वारा की गयी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा जिला कृषि अधिकारी, एटा को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, एटा के आदेश संख्या-2885/07-पं०/स्था०लि०/शि0पत्र/जांच/2023-24 दिनांक 06.02.2024 के अनुसार शिकायत निराधार पायी गयी ।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों	उपरोक्तानुसार।

ओम प्रकाश राजभर
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।